

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश //340/2019


दिनांक 02.07.2019

सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), तत्कालीन अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-25, जयपुर महानगर (चौमूं) हाल अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, श्रीगंगानगर को दिनांक 08.05.2019 से 10.05.2019 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 11.05.2019 से 12.05.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री स्वामी की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 22, जयपुर महानगर (चौमूं) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-25, जयपुर महानगर (चौमूं) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/60/2015/ 6007

दिनांक 02.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1877 दिनांक 10.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, श्रीगंगानगर ।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-25, जयपुर महानगर (चौमूं) ।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 22, जयपुर महानगर (चौमूं) ।


सहायक रजिस्ट्रार